

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.10(34)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक :-  
3 OCT 2023

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना क्रमांक प. 10(34)नविवि/3/2011 दिनांक 13.06.2013 के द्वारा अधिसूचित किशनगढ के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर परिषद, किशनगढ की बोर्ड की बैठक दिनांक 18.10.2022 तथा एम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 23.06.2023 व 17.07.2023 के निर्णयानुसार जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत किशनगढ मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित किये गये संशोधनों के प्रस्तावानुसार किशनगढ मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों में से क्रम संख्या 3, 25 व 26 में भू-उपयोग मास्टर प्लान के अनुसार ही रखे जाने, बिन्दु संख्या 35 में मौके की बसावट होने के कारण आवासीय भू-उपयोग तथा बिन्दु संख्या 38 में पतली भू-पट्टी होने के कारण वृक्षारोपण पट्टी भू-उपयोग रखते हुए शेष संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त किशनगढ मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) की प्रति का अवलोकन नगर परिषद, किशनगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

— sd —

(जुगल किशोर मीणा)

संयुक्त शासन सचिव द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर, अजमेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन, अजमेर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव द्वितीय